

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
पीठासीन अधिकारी - श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं० 22/19

दायरा दिनांक 11.07.2019

1-ज्ञानी उम्र 60 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

2-श्रीमति जीओ उम्र 50 वर्ष पत्नि ज्ञानी जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

वादीगण

बनाम

1-प्रभू पुत्र अमरलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

2-खच्चू पुत्र अमरलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

3-अनसुईया पुत्री रमेश जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

4-रामा पुत्री रमेश पत्नि अशोक जाति काछी निवासी गलथूनी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म०प्र०

5-नब्बो पत्नि स्व. रमेश जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

6-मेहदाबाई पत्नि स्व. सीता जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

7-गुलाबचन्द पुत्र शिवलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

8-धर्मजीत पुत्र शिवलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

9-मुन्नी पुत्री शिवलाल पत्नि खच्चू जाति काछी निवासी गलथूनी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म०प्र०

10-लाडोबाई पत्नि शिवलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

11-रामप्रसाद पुत्र लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

12-गोध्या पुत्र लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

13-सोनू पुत्र लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

14-मनोज पुत्र लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

15-भाटो पुत्री लालाराम पत्नि गोविन्द जाति काछी निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद बारां राज०

16-लाली बडी पुत्री लालाराम पत्नी वकील जाति काछी निवासी चिलाद तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म०प्र०

17-छोटी लाली पुत्री लालाराम पत्नी गंगाराम जाति काछी निवासी गोहरी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म०प्र०

18-पार्वतीबाई पत्नि स्व. लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज०

19-राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण



9

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,53 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक 28.11.2025

ब हाजिरी
वादीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण ओर से – एकपक्षीय

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम होडापुरा तहसील शाहाबाद में खाता संख्या 66 की आराजी ख0नं0 71 रकबा 6.11 बीघा, ख0नं0 317 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 330 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 512 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 9.01 बीघा एवं ग्राम होडापुरा के ही खाता संख्या 63 की आराजी ख0नं0 58 रकबा 1.00 बीघा, 70 रकबा 4.18 बीघा, ख0नं0 130 रकबा 3.13 बीघा, ख0नं0 131 रकबा 4.11 बीघा, ख0नं0 194 रकबा 3.03 बीघा, ख0नं0 319 रकबा 2.08 बीघा, ख0नं0 321 रकबा 0.02 बीघा, ख0नं0 323 रकबा 1.09 बीघा, ख0नं0 333 रकबा 4.02 बीघा, ख0नं0 371/637 रकबा 8.10 बीघा, ख0नं0 372 रकबा 1.17 बीघा, ख0नं0 389 रकबा 0.17 बीघा, ख0नं0 398 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 36.14 बीघा स्थित है। इस तरह उक्त दोनो खातों की कुल किता 17 कुल रकबा 45.15 बीघा है, जिसे विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीगण पति पत्नि हैं, विवादित आराजी वादी कम 1 तथा प्रतिवादीगण के सहखाते दर्ज रही है और विवादित आराजी कुल किता 17 कुल रकबा 45.15 बीघा का एक ही खाता रहा है जिसमें वादी कम 1 का 1/15 हिस्सा पैत्रिक है। वादी कम 1 ने तत्कालीन सहखातेदार रमेशचन्द पुत्र सीता व मेहदाबाई वेवा सीता से विवादित आराजी ख0नं0 71 रकबा 6.11 बीघा, ख0नं0 317 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 330 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 512 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 9.01 बीघा में से हिस्सा $1/3 = 3$ बीघा भूमि दिनांक 08.07.2002 को रजिस्टर्ड कय कर कब्जा प्राप्त किया और इस विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 149 वादी कम 1 के हक में तस्दीक किया गया, इस तरह उक्त खसरा नम्बर में वादी कम 1 का हिस्सा $1/15 + 1/3 = 6/15$ हो गया। इसके बाद रमेशचन्द की बुआ ने अपने हिस्सा $1/5$ का हकत्याग रमेशचन्द के हक में कर दिया, इस तरह रमेशचन्द का हिस्सा $2/5$ हो गया। सहखातेदार रमेशचन्द का देहान्त होने के बाद विरासत में प्रतिवादी कम 3 ता 6 के नाम दर्ज कर दिये गये। दिनांक 24.06.2004 को वादी कम 2 ने प्रतिवादी कम 3 ता 6 से ख0नं0 71 रकबा 6.11 बीघा, ख0नं0 317 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 330 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 512 रकबा 1.16 बीघा, ख0नं0 333 रकबा 4.02 बीघा, ख0नं0 372 रकबा 1.17 बीघा कुल किता 6 रकबा 15.00 बीघा में से हिस्सा $1/5 = 3.00$ बीघा भूमि कय का कब्जा प्राप्त किया है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 158 खोला गया जिसे अवैध रूप से वादी को कोई सूचना दिये बिना तहसीलदार शाहाबाद ने यह लिखकर कि विभाजन के अभाव में खारिज कर दिया। इस प्रकार विवादित आराजी में वादी का पैत्रिक हिस्सा $1/15$ जो कुल आराजी किता 17 कुल रकबा 45.15 बीघा का 3.01 बीघा, इसके अलावा वादी कम 1 द्वारा सहखातेदार रमेशचन्द व मेहदाबाई से कय की गई आराजी 3.00 बीघा तथा सहखातेदार प्रतिवादी 3 ता 6 से वादी कम 2 द्वारा कय की गई भूमि 3.00 बीघा

2



कुल 9.01 बीघा पर वादी कम 1 हिस्सा 2/3 से तथा वादी कम 2 हिस्सा 1/3 पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के हकदार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये आपसी समझौता अनुसार वादीगण ख0नं0 71 रकबा 6.11 बीघा, ख0नं0 317 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 330 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 512 रकबा 1.16 बीघा किता 4 कुल 9.01 बीघा पर काबिज हैं, जिन पर वादीगण खातेदारी हक की घोषणा करा कर विभाजित करा प्रथक खाता दर्ज कराने के हकदार हैं और शेष खसरा नम्बरान से वादीगण का नाम विलोपित कर प्रतिवादी कम 1 हिस्सा 1/12, प्रतिवादी कम 2 हिस्सा 1/12, प्रतिवादी कम 3 ता 6 हिस्सा 4/12 एवं प्रतिवादी कम 7 ता 18 हिस्सा 6/12 के रूप में दर्ज होगा। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विक्रयपत्र अनुसार वादीगण के खाता दर्ज कराने एवं पारिवारिक बटबारा अनुसार विभाजन कराने को कहा तो दिनांक 01.07.2019 को प्रतिवादीगण ने साफ इनकार कर दिया और आराजी अन्य को विक्रय करने की धमकी दी। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित फरमायें कि विवादित आराजी ख0नं0 71 रकबा 6.11 बीघा, ख0नं0 317 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 330 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 512 रकबा 1.16 बीघा किता 4 कुल 9.01 बीघा के हिस्सा 2/3 पर वादी कम 1 एवं हिस्सा 1/3 पर वादी कम 2 को खातेदार घोषित किया जाकर प्रथक से खाते दर्ज की जावे तथा शेष आराजी ख0नं0 58 रकबा 1.00 बीघा, 70 रकबा 4.18 बीघा, ख0नं0 130 रकबा 3.13 बीघा, ख0नं0 131 रकबा 4.11 बीघा, ख0नं0 194 रकबा 3.03 बीघा, ख0नं0 319 रकबा 2.08 बीघा, ख0नं0 321 रकबा 0.02 बीघा, ख0नं0 323 रकबा 1.09 बीघा, ख0नं0 333 रकबा 4.02 बीघा, ख0नं0 371/637 रकबा 8.10 बीघा, ख0नं0 372 रकबा 1.17 बीघा, ख0नं0 389 रकबा 0.17 बीघा, ख0नं0 398 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 36.14 बीघा में से वादीगण का नाम विलेपित कर प्रतिवादी कम 1 हिस्सा 1/12, प्रतिवादी कम 2 हिस्सा 1/12, प्रतिवादी कम 3 ता 6 हिस्सा 4/12 एवं प्रतिवादी कम 7 ता 18 हिस्सा 6/12 के रूप में प्रथक खाता दर्ज किया जावे, इत्यादि

2. दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना सम्मन के अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. वादीगण की ओर से साक्ष्य अन्तर्गत पी.डब्लू 1 ज्ञानी व पी.डब्लू 2 जीओ के बयान कराये गये और नकल जमाबंदी ग्राम होडापुरा सम्वत 2073-76 खाता संख्या 63 प्रदर्श 1, नकल नामान्तरकरण संख्या 154, 153 ग्राम होडापुरा प्रदर्श 2 व 3, नकल जमाबंदी ग्राम होडापुरा सम्वत 2073-76 खाता संख्या 66 प्रदर्श 4, नकल नामान्तरकरण संख्या 147 ग्राम होडापुरा प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी ग्राम होडापुरा खाता संख्या 66 प्रदर्श 6, विक्रयपत्र दिनांक 24.06.2004 प्रदर्श 7, विक्रयपत्र दिनांक 08.07.2002 प्रदर्श 8 तथा नकल नामान्तरकरण संख्या 158 व 149 ग्राम होडापुरा को प्रदर्श 9 व 10 के रूप में पेश किया।
4. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी खाता संख्या 66 ख0नं0 71 रकबा 6.11 बीघा, ख0नं0 317 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 330 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 512 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 9.01 बीघा तथा खाता संख्या 63 की

उपखण्ड अधिकारी
राजसूद

आराजी ख०नं० 58 रकबा 1.00 बीघा, 70 रकबा 4.18 बीघा, ख०नं० 130 रकबा 3.13 बीघा, ख०नं० 131 रकबा 4.11 बीघा, ख०नं० 194 रकबा 3.03 बीघा, ख०नं० 319 रकबा 2.08 बीघा, ख०नं० 321 रकबा 0.02 बीघा, ख०नं० 323 रकबा 1.09 बीघा, ख०नं० 333 रकबा 4.02 बीघा, ख०नं० 371/637 रकबा 8.10 बीघा, ख०नं० 372 रकबा 1.17 बीघा, ख०नं० 389 रकबा 0.17 बीघा, ख०नं० 398 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 36.14 बीघा ग्राम होडापुरा तहसील शाहाबाद पूर्व में कुल किता 17 कुल रकबा 45.15 बीघा एक ही खाते के रूप में दर्ज रही है, जिसमें वादी कम 1 का पैत्रिक हिस्सा 1/15 दर्ज रहा है। बाद में वादी कम 1 ने तत्कालीन सहखातेदार रमेशचन्द पुत्र सीता व मेहदाबाई वेवा सीता से विवादित आराजी ख०नं० 71 रकबा 6.11 बीघा, ख०नं० 317 रकबा 0.04 बीघा, ख०नं० 330 रकबा 0.10 बीघा, ख०नं० 512 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 9.01 बीघा में से हिस्सा $1/3 = 3$ बीघा भूमि दिनांक 08.07.2002 को रजिस्टर्ड कय कर कब्जा प्राप्त किया और इस विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 149 वादी कम 1 के हक में तस्दीक किया गया, इस तरह उक्त खसरा नम्बर में वादी कम 1 का हिस्सा $1/15 + 1/3 = 6/15$ हो गया। इसके बाद सहखातेदार रमेशचन्द की बुआ ने अपने हिस्सा $1/5$ का हकत्याग रमेशचन्द के हक में कर दिया, इस तरह रमेशचन्द का हिस्सा $2/5$ हो गया सहखातेदार रमेशचन्द का देहान्त होने के बाद विरासत में प्रतिवादी कम 3 ता 6 के नाम दर्ज कर दिये गये, तब दिनांक 24.06.2004 को वादी कम 2 ने प्रतिवादी कम 3 ता 6 से ख०नं० 71 रकबा 6.11 बीघा, ख०नं० 317 रकबा 0.04 बीघा, ख०नं० 330 रकबा 0.10 बीघा, ख०नं० 512 रकबा 1.16 बीघा, ख०नं० 333 रकबा 4.02 बीघा, ख०नं० 372 रकबा 1.17 बीघा कुल किता 6 रकबा 15.00 बीघा में से हिस्सा $1/5 = 3.00$ बीघा भूमि कय का कब्जा प्राप्त किया है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 158 खोला गया, इस प्रकार उपरोक्त खसरा नम्बरान में वादी कम 2 का हिस्सा $1/5 = 3.00$ बीघा निहित है। इस प्रकार कुल विवादित आराजीयात किता 17 रकबा रकबा 45.15 बीघा में वादीगण की कुल हिस्सा आराजी 9.01 बीघा निहित है, जिसे ख०नं० 71 रकबा 6.11 बीघा, ख०नं० 317 रकबा 0.04 बीघा, ख०नं० 330 रकबा 0.10 बीघा, ख०नं० 512 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 9.01 बीघा के रूप में वादी कम 1 हिस्सा $2/3$ तथा वादी कम 2 हिस्सा $1/3$ से वादीगण के नाम विभाजित कर प्रथक खाता दर्ज किया जावे।

5. वादीगण के उक्त कथन के आलोक में संलग्न पत्रावली दस्तावेजों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि कुल विवादित आराजीयात किता 17 रकबा रकबा 45.15 बीघा में वादी कम 1 ज्ञानी का हिस्सा $1/15$ दर्ज रहा है। बाद में वादी कम 1 ने प्रदर्श 8 विक्रयपत्र के जर्ये सहखातेदार रमेशचन्द तथा मेहदा से ख०नं० 71 रकबा 6.11 बीघा, ख०नं० 317 रकबा 0.04 बीघा, ख०नं० 330 रकबा 0.10 बीघा, ख०नं० 512 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 9.01 बीघा में से हिस्सा $1/3$ रकबा 3.00 बीघा कय किया है, जिसका नामान्तरकरण नंबर 149 से अमल हुआ है। वादी कम 2 के द्वारा विक्रयपत्र प्रदर्श 7 के जर्ये प्रतिवादी कम 3 ता 6 से ख०नं० 71 रकबा 6.11 बीघा, ख०नं० 317 रकबा 0.04 बीघा, ख०नं० 330 रकबा 0.10 बीघा, ख०नं० 512 रकबा 1.16 बीघा, ख०नं० 333 रकबा 4.02 बीघा, ख०नं० 372 रकबा 1.17 बीघा कुल किता 6 रकबा 15.00 बीघा में से हिस्सा $1/5 = 3.00$ बीघा भूमि कय किया जाना भी प्रमाणित है। परन्तु जितना हिस्सा खरीदा गया उस समय तक बहिन ने हकत्याग नहीं किया था, इसके अलावा वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य से यह

उपखण्ड अधिकारी
सहस्र

तथ्य भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य ऐसा कोई पारस्परिक समझौता हुआ हो कि विवादित आराजी खसरा संख्या ख0नं0 71 रकबा 6.11 बीघा, ख0नं0 317 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 330 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 512 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 9.01 बीघा को वादीगण तथा शेष आराजीयात को प्रतिवादीगण काश्त करेंगे, तदनुसार वादीगण अपना कब्जा भी प्रमाणित करने में विफल रहे हैं।

6. इस प्रकार उपरोक्त विप्लेशन से वादीगण अपने वाद को प्रमाणित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।
7. अतः वादीगण का वाद सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डे अधिकारी
उपखण्डे अधिकारी
शाहीबाद

प्राथमिक-डिकी मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहाबाद

वइजलास - श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

- 1-ज्ञानी उम्र 60 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 2-श्रीमति जीओ उम्र 50 वर्ष पत्नि ज्ञानी जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0

वादीगण

बनाम

- 1-प्रभू पुत्र अमरलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 2-खच्चू पुत्र अमरलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 3-अनसुईया पुत्री रमेश जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 4-रामा पुत्री रमेश पत्नि अशोक जाति काछी निवासी गलथूनी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0
 5-नब्बो पत्नि स्व. रमेश जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 6-मेहदाबाई पत्नि स्व. सीता जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 7-गुलाबचन्द पुत्र शिवलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 8-धर्मजीत पुत्र शिवलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 9-मुन्नी पुत्री शिवलाल पत्नि खच्चू जाति काछी निवासी गलथूनी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0
 10-लाडोबाई पत्नि शिवलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 11-रामप्रसाद पुत्र लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 12-गोधा पुत्र लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 13-सोनू पुत्र लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 14-मनोज पुत्र लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 15-भाटो पुत्री लालाराम पत्नि गोविन्द जाति काछी निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद बारां राज0
 16-लाली बडी पुत्री लालाराम पत्नी वकील जाति काछी निवासी चिलाद तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0
 17-छोटी लाली पुत्री लालाराम पत्नी गंगाराम जाति काछी निवासी गोहरी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0
 18-पार्वतीबाई पत्नि स्व. लालाराम जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद बारां राज0
 19-राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,53 आर.टी.एक्ट

राजस्व वाद संख्या 22/19


 उपखण्ड अधिकारी
 शाहाबाद

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....
 व हाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....
 मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि वादीगण का
 वाद सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निज
मुबलिंग.....बावत.
 खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख
 अदायगी तकको अदा करें।
 सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.11.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
 शाहीबाद

मुददई	रूपया	पैसे	मुददायलह
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक			स्टाम्प अर्जीदावा सटाम्प अर्जी मेहनताना बकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहीबाद